

10.5.18

→ स्वामी अरुण देवा देव खीरिया के लगे आई

आधी व अमाधी ले 152 हाकिर प्रकल्पना के सुना गया
 ग्राम कौलपुरा की जमाखंडी सेक्टर 2070-73 के खाल
 से नया-पुनना 164-157 के दर्ज खसरा नम्बर 21,
 22 रकबा इमरा: 1-13-00, 5-13-00 लीघा, रामपुर
 वल्लु की वल्लेन जाति खसरा के नाम दर्ज है।
 अमाधीगण का इस आरजी से कोई लेना देना
 नहीं है अतः उन्हें मूल वल्लु के जमीनदार
 तह अस्थाई निर्बंधाज्ञा से पाबन्द किया जाके
 वही आधी की बिन्दु खास से विरोध किया
 गये वही प्रकल्पना के सुना प्रवापण का
 अलोकन किया प्रकल्पना के काबू की बिन्दु
 खसरा लेने से शर्तना पत्र के अर्जित आरजी
 खसरा नम्बर 21, 22 पर अमाधीगण के जाद्वे
 अस्थाई निर्बंधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि
 आधी की हबि आरजीगण के अपने कारर
 के बाबा उत्पन्न नहीं करे। एवं उम्ह आरजी
 के हबि येन गौराह नहीं ले जावे। एवं उम्ह
 कारर के बाबा उत्पन्न नहीं करे। एउ
 अधिकार का निर्धारण मूल वल्लु के वल्लु
 वल्लुत होगा। यह शर्तना पत्र एउ
 अधिकार का लिगायड नहीं है। खसरा
 करिये अपना अपना वहन करे।

आदेश अर्जमे आम से सुनाया गया


अधि. शिवा

ठाकुराह

अनि। 11/7/18



लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)


सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)